रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 521] नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 15, 2010/भाद्र 24, 1932
No. 521] NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 15, 2010/BHADRA 24, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2010

सा.का.नि. 763(अ).—केन्द्रीय सरकार, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) की धारा 66 के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा लोकहित में करना आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 381(अ) तारीख 27 जून, 2006 द्वारा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गई थी में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के क्रम सं. 12 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(13) राज्य पुलिस विभाग ; और

(14) धन शोधन निवारण (अंतरणों की प्रकृति और मूल्य के अभिलेखों का अनुरक्षण, बैंककारी कंपनियों, वित्तीय संस्थानों और मध्यवर्तियों के ग्राहकों की पहचान के अभिलेखों का अनुरक्षण करने की प्रक्रिया और रीति तथा सूचनाएं देने के लिए समय और सत्यापन तथा अनुरक्षण) नियम, 2005 के नियम 2 के खंड (चक) के अधीन यथापरिभाषित विनियामक ।"

[अधिसूचना सं. 11/2010/फा. सं. पी. 12011/2/2009-ई. एस.]

एस. आर. मीणा, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में सं. सा.का.नि. 381 (अ), तारीख 27 जून, 2006 को प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संशोधन सं. सा.का.नि. 929(अ) तारीख 29 दिसंबर, 2009 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th September, 2010

G.S.R. 763(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of section 66 of the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (15 of 2003), the Central Government on being satisfied that it is necessary in public interest to do so, hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance, Department of Revenue, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 381(E), dated the 27th June, 2006, namely :—

In the said notification, after serial number (12) and the entries relating thereto the following entries shall be inserted, namely :—

"(13) State Police Department; and

(14) Regulator, as defined under clause (fa) of rule 2 of the Prevention of Money Laundering (Maintenance of Records of the Nature and Value of Transactions, the Procedure and Manner of Maintaining and

IndiaCode

time for Furnishing Information and Verification and Maintenance of Records of the Identity of the Clients of the Banking Companies, Financial Institutions and Intermediaries) Rules, 2005."

[Notification No. 11/2010/F.No.P. 12011/2/2009-E.S.]

S.R. MEENA, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 381 (E) dated the 27th June, 2006 subsequently amended vide number G.S.R. 929 (E) dated the 29th December, 2009.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.